तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याःडी.ई.-25 (13)/236/वि.कार्य/2017-18/1654-1655 दिनांकः- 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 20 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Delhi

प्रतिलिपिः-
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (150 कापियाँ)।

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 20

दिनांक :– 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :–. श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न		उत्तर
(क)	दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे व मान्यता प्राप्त कितने स्कूल हैं;	दिल्ली सरकार के दिल्ली में कुल 1023 राजकीय विद्यालय हैं। दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 1755 है (1344 विद्यालय "दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1973" के अंतर्गत है व 411 विद्यालय "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के अन्तर्गत है)।
(ख)	इनमें से कितने स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है;	जिस समय मान्यता दी जाती है, तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय में लाईब्रेरी हो। उपरोक्त सभी विद्यालयों में लाईब्रेरी है।
(ग)	सरकार ने इस वर्ष कितने स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य रखा है तथा कितना बजट रखा है;	यद्यपि दिल्ली सरकार के सभी राजकीय विद्यालयों में कम से कम एक लाइब्रेरी पहले से है, तथापि, 1. 400 राजकीय विद्यालयों में मुख्य पुस्तकालय के अलावा, अतिरिक्त पुस्तकालय बनाने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. को 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 2. वर्ष 2018–19 में हर प्राथमिक कक्षा में कक्षा–कक्ष पुस्तकालय के लिये 10 हजार रूपये प्रति सेक्शन की पुस्तकें खरीदने का प्रावधान है। 3. वर्ष 2018–19 में दिल्ली के सभी राजकीय विद्यालयों में 15 करोड़ रूपये की राशि की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री खरीदने का बजट प्रावधान है।
(घ)	क्या जिन स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है उन स्कूलों के बच्चों का साथ वाले स्कूलों में लाइब्रेरी प्रयोग करने पर सरकार विचार कर रही है; और	उपरोक्त "ख" के अनुसार लागू नहीं होता।
(ड़)	यदि हां तो कौन–कौन से स्कूलों को किस–किस स्कूल के साथ जोड़ा है; कृपया विवरण दें?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi